रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24102026-277408
SG-DL-E-24102026-277408

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 262
No. 318]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948	[N. C. T. D. No. 262

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2026

फा. सं.1(153)/डीसीएफ(मुख्यालय)/स्थापना/रोस्टर/10488.— गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 25.03.2026 के अर्ध शासकीयपत्र संख्या 45023/33/2022-पीपी(1) के अनुसरण मेंदिल्ली के माननीय उपराज्यपाल,एतद् द्वारासशस्त्र बलों में पूर्व-अग्निवारों की चार वर्षों की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों में समायोजित करने के लिए वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वन रक्षकों और वन्यजीव रक्षकों की सीधी भर्ती के पदों में पूर्व-अग्निवारों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण को निम्नानुसार अनुमोदित करते हैं-

(i) पूर्व-अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में रिक्तियों का 20% क्षैतिज आरक्षणया ऐसा प्रतिशत जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

(ii) पूर्व-अग्निवीरों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से परे तीन वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी।

(iii) इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस के लिए अधिसूचित प्रावधानों के अनुरूप, अग्निवीरों के पहले बैच से संबंधित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से परे पांच वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी।

(iv) जहां भी लागू भर्ती नियमों के अंतर्गत संभव और कानूनी रूप से अनुमत समझा जाएं, वहां निर्धारित शारीरिक और चिकित्सा मानकों की पूर्ति के अधीनशारीरिक दक्षता परीक्षा से छूटदी जाएगी|

(v) यदि पर्याप्त पात्र पूर्व-अग्निवीर उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो रिक्त पद संबंधित श्रेणी को वापस कर दिए जाएंगे और लागू भर्ती नियमों तथा आरक्षण नीति के अनुसार भरे जाएंगे।

(vi) यह लाभ भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, पात्र पूर्व-अग्निवीरों हेतु उपलब्ध होगा और इसे केवल दिल्ली में रहने वाले पूर्व-अग्निवीरों तक सीमित नहीं किया जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित औचित्य के साथ विशेष रूप से अनुमोदित न किया गया हो ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय कुमार बिघुड़ी, सचिव, पर्यावरण एवं वन

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 15th October, 2026

F. No. 1(153)/DCF(HQ)/Estt./ROSTER/10488.— In pursuance of the D.O. letter No. 45023/33/2022-PP(1) dated 25.03.2026 of Home Secretary, Government of India, New Delhi, Hon'ble Lt. Governor, Delhi is pleased to approve 20% horizontal reservation to the Ex-Agniveers in Direct Recruitment posts of Forest Guards and Wildlife Guards in Department of Forests & Wildlife, Govt. of NCT of Delhi to accommodate Ex-Agniveers in various Govt. Departments after completion of their four years of engagement with the Armed Forces, as given below:-

(i) Horizontal Reservation of 20% of vacancies in direct recruitment for Ex- Agniveers, or such percentage as may be prescribed by Government from time to time.

(ii) Age relaxation of three years beyond the prescribed upper age limit for Ex-Agniveers.

(iii) Further, age relaxation of five years beyond the prescribed upper age limit for candidates belonging to the first batch of Agniveers, in line with the provisions notified for Delhi Police.

(iv) Exemption from Physical Efficiency Test, wherever considered feasible and legally permissible under the applicable Recruitment Rules, subject to fulfillment of prescribed physical and medical standards.

(v) In case sufficient eligible Ex-Agniveer candidates are not available, the unfilled vacancies shall revert to the respective category and be filled in accordance with the applicable recruitment rules and reservation policy.

(vi) The benefit shall be available to eligible Ex- Agniveers in accordance with Government of India instructions and shall not be restricted only to Ex-Agniveers domiciled in Delhi, unless specifically approved by the Competent Authority with recorded justification.

By Order and in the Name of the Hon’ble Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KUMAR BIDURI, Secy. Environment & Forest

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA